



IN THE COURT OF
Cjsd FTC/ACJM
AT ,Mainpuri
(Presided Over by ANSHIKA LAL)

Bail Application/1772/2026

राज्य बनाम रामू यादव।
प्रा०प० सं०- /2026
जमानत प्रार्थना पत्र

अ० सं०- 61/2026
धारा - 281,125 बी,324(2) BNS
थाना - दन्नाहार ,जिला - मैनपुरी

दिनांक – 31.03.2026

1. अभियुक्त रामू यादव पुत्र महेन्द्र सिंह, अ० सं०- 61/2026, अंधारा - 281,125 बी,324(2) BNS, थाना दन्नाहार, मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया है।
2. जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का अपराध जमानतीय है। प्रार्थी के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
3. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है।
4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।
5. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। उक्त कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।
6. अतः अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 25000/- रुपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंशिका लाल)
J.O. Code- UP3271
सिविल जज (प्रवर वर्ग)/
एफ.टी.सी., मैनपुरी